इकाई 3 ब्रिक्सः कार्यपालिका*

इकाई की रूपरेखा

3.0 उद्देश्य

3.1 प्रस्तावना

3.2 ब्राजील में कार्यपालिका

3.3 रूस में कार्यपालिका

3.4 भारत में कार्यपालिका

3.5 चीन में कार्यपालिका

3.6 दक्षिण अफ्रीका में कार्यपालिका

3.7 निष्कर्ष

3.8 शब्दावली

3.9 संदर्भ लेख

3.10 बोध प्रश्नों के उत्तर

3.0 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप :

- ब्राजील की प्रमुख कार्यपालिका के ढाँचे कीचर्चा कर सकेंगे;

*डॉ. स्विंदर सिंह, प्रोफेसर, लोक प्रशासन विभाग, यू. एस. ओ. एल., पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़

- रूस की कार्यपालिका की कार्यप्रणाली एवं व्यवस्था की व्याख्या कर सकेंगे;
- भारत में कार्यपालिका का वर्णन;
- चीन की कार्यपालिका सरकार की व्यवस्था; और
- दक्षिण अफ्रीका की प्रमुख कार्यपालिका व्यवस्था का विस्तृत वर्णन कर सकेंगे।

3.1 प्रस्तावना

वस्तुतः सरकार की कार्यपालिका शाखा सरकारी मशीनरी के कार्यप्रणाली के लिए उत्तरदायी होती है, जिसे आवश्कयता होती है राज्य की नीतियों के निर्माण व कार्यान्वयन की तथा राज्य के मामलों को शासित करने की सत्ता भी होती है। कार्यपालिका का अर्थ है विधान सभा द्वारा बनाए गए नीतियों व कार्यक्रमों को कार्यान्वित करना। किसी भी प्रकार की सरकार को उसके तीन महत्वपूर्ण अंग होते है : विधान सभा, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका। सरकार की सभी व्यवस्थाओं में कार्यपालिका को विधान सभा के साथ ही शामिल किया जाता है। सरकार के तीनों अंगों या फिर उनकी शक्तियों व भूमिका उनके एक दूसरे के साथ निकटता के संपर्क पर निर्भर करती है। अध्यक्षवाचक शासन व्यवस्था उदारहण स्वरूप अमेरिका में सामान्यतः शक्ति पृथ्क्करण के सिद्धांत का पालन किया जाता है, जिसमें हर अंग एक दूसरे से स्वतंत्र रहता है, तथा एक दूसरे को नियंत्रण व संतुलन के सिद्धांत के आधार पर नियंत्रित करता रहता है। जबकि संसदीय लोकतंत्र में सरकार के इन अंगों की स्थिति अलग होती है, विधान सभा कार्यपालिका के साथ गहरा संबंध रखती है, क्योंकि कार्यपालिका का निर्माण विधान सभा से होता है। दोनों के मध्य अतिव्यापक के तत्व

दिखाई देते है एवं न्यायपालिका इन दोनों से सैद्धांतिक रूप से स्वतंत्र होती है। अतः विधान सभा व कार्यपालिका में संबंध से कार्यपालिका की भूमिका का निर्धारण होता है जिन्हें आगे चर्चा में लाया गया है।

विश्व के कुछ प्रमुख देशों में विभिन्न प्रकार भी कार्यपालिका है – अध्यक्षात्मक, संसदात्मक, एकल, बहुल, नाममात्र, वास्तविक, मनोनीत (नामित), अधिनायक आदि। अधिकतर देशों में शासनाध्यक्ष व राष्ट्राध्यक्ष अलग–अलग होते है, तथा कुछ देशों में एक ही व्यक्ति द्वारा इन दोनों पदों को ग्रहण किया जाता है। इसी तरह अधिकतम देशों में प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित प्रमुख होते है व कम संख्या में देशों के प्रमुख अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते है। इस इकाई में, हम ब्रिक्स देशों की सरकारों की कार्यपालिका पर ध्यान केन्द्रित करेंगे।

3.2 ब्राजील में कार्यपालिका

ब्राजील में सरकार की संघीय राष्ट्रपति प्रणाली है। संघीय राष्ट्रपति संवैधानिक गणराज्य जो एक प्रतिनिधि लोकतंत्र पर आधारित है। राष्ट्रपति सरकार की कार्यकारी शाखा का प्रमुख होता है। सरकार और ब्राजील के सशस्त्र बलों के कमांडर–इन–चीफ भी हैं। ब्राजील की कार्यपालिका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और कैबिनेट से बनी हुई है। इसके अलावा अन्य प्रमुख अंग परिषद है जैसे गणतंत्रीय परिषद एवं राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् (National Defence Council)। गणतंत्र का राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष व शासनाध्यक्ष के साथ प्रशासकीय अध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति निर्वाचन के पश्चात् 1 जनवरी को चार

वर्ष के कार्यकाल के लिए पद भार ग्रहण करता है। राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव एक साथ होते है, जो आमतौर पर अक्टूबर के पहले रविवार को होते है। अगर आवश्यकता हो, तो चुनाव का दूसरा चक्र उसी माह के आखिरी रविवार को आयोजित किया जाता है। राष्ट्रपति पद के दावेदार उम्मीदवार को निम्न योग्यताओं को पूर्ण करना पड़ता है : जन्म से ब्राजील का नागरिक, चुनाव के समय 35 वर्ष से कम आयु न हो, विधिक राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो, योग्य मतदाता हो एवं ब्राजील के चुनावी निवास स्थान का रहवासी हो, किसी राजनीतिक दल की सदस्यता हो और राष्ट्रपति के चुनाव की तारीख से छः माह पहले मौजूदा अध्यक्ष को न बदला हो।

संविधान के अनुसार, राष्ट्रपति पद पर स्थापित होने के पश्चात् ब्राजील की अखंडता व स्वतंत्रता की रक्षा करना राष्ट्रपति का कर्त्तव्य है, उसके द्वारा सरकार की योजनाओं तथा बजट के निर्देशों व सुझावों के आधार पर विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है। विधान सभा द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करना कार्यपालिका के लिए अनिवार्य है तथा गणतंत्र के राष्ट्रपति भी इस प्रक्रिया को कर सकते हैं। कभी कभी आपातकाल तथा महत्वपूर्ण मामलों में तात्कालिक निर्णय के साथ ही अन्य विविध प्रस्ताव व संवैधानिक संशोधन भी किए जाते हैं। राष्ट्रपति को मामलों पर निषेधाधिकार का निर्णय लेने का अधिकार है, साथ ही राज्यों में संघीय हस्तक्षेप, रक्षा व अवरोध की अवस्था पर निर्णय, विदेशी देशों से संबंध स्थापना एवं राजनयिकों के प्रपत्रों को स्वीकारना, संधिया करना, अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों में स्वीकृति एवं राष्ट्रीय कांग्रेस से स्वीकृति के प्रयास करना उनका अधिकार क्षेत्र है। राष्ट्रपति का कार्यालय प्रतिवादी पर लगाए गए कठोर

दंड को और अधिक लचीलेपन के साथ बदलकर क्षमादान दे सकता है और कानूनी सजा को कम कर सकता है। राष्ट्रपति के पास सैनिकों का प्रबंधन, लोक कार्यालयों का निर्माण, कानून व सिविल सेवाओं से संबंधित मामलों, मंत्रियों की नियुक्ति और बर्खास्तगी, लोक हितों के लिए कानून आरंभ करने और संविधान में प्रदान की गई अन्य शक्तियों का प्रयोग करने जैसी विशाल शक्तियाँ है। वह अपनी शक्तियों को अधीनस्थ एजेन्सियों को सौंप सकता है। संघीय संविधान के तहत खनन् के मामले में राष्ट्रपति पर महोभियोग (Impeachment) चलाने का संवैधानिक प्रावधान है। सामान्य आपराधिक मामलों के लिए, राष्ट्रपति पर संघीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष या संघीय सीनेट (Federal Senate) के समक्ष महाभियोगीय अपराधों में मुकदमा चलाया जाता है।

उपराष्ट्रपति का चुनाव राष्ट्रपति के साथ किया जाता है, जोकि उनके साथ ही पंजीकृत होता है। राष्ट्रपति के विदेश में रहने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है। उपराष्ट्रपति की भूमिका आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रपति की सहायता करता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल राष्ट्रपति के साथ ही होता है, जोकि 4 वर्ष का होता है।

कैबिनेट मंत्री सरकार के कार्यपालिका अंग को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है। मंत्री एक या दूसरे विभाग के मुख्य होते है, और वित्तीय, प्रशासनिक या तनकीकी पहलुओं से संबंधित प्रशासन को चलाने के लिए विभिन्न स्वायत्त शक्तियों का आनंद लेते हैं। वे मानक बनाने, व संघीय कार्यक्रमों की निगरानी और मूल्यांकन जैसे लोक

संसाधनों के उपयोग के लिए रणनीयितों, दिशा निर्देशों और प्राथमिकताओं को स्थापित करने के लिए भी जिम्मेदार है। मंत्रियों को गणराज्य के राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता है। केवल रक्षा राज्य मंत्रालय के प्रमुख को ब्राजील के मूल निवासियों के प्रति प्रतिबद्धता दिखाने की जिम्मेदारी है। मंत्री पद के उम्मीदवार की उम्र 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, और उनके पास उनके पूर्ण राजनीतिक अधिकार होने चाहिए। मंत्री जिम्मेदारी के क्षेत्र में संघीय अंगों और प्रशासनिक संस्थाओं के समन्वय और पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार है।

सरकार में विशेष सविच भी होते हैं, जो सीधे गणतंत्र की अध्यक्षता और कुछ अन्य अंगों के लिए जिम्मेदार होते हैं एवं जो स्वयं के सामरिक कार्यों (Strategee Functions), के कारण मंत्रालय की स्थिति का महत्व प्राप्त करते हैं। इस तरह के अंगों में सरकारी सचिवालय शामिल है, जो गणतंत्र के राष्ट्रपति को राजनीतिक और सामाजिक समन्वय बनाए रखने में सहायता करता है, खासतौर पर राष्ट्रीय कांग्रेस, राजनीतिक दलों से संबंध में एवं राज्यों, संघीय जिला व नगरपालिकाओं के साथ संवाद बनाये रखने के लिए कार्य करते हैं। सचिवालय संस्थागत संकटों की रोकथाम और प्रबंधन के लिए भी जिम्मेदार है, तथा सूक्ष्म व लघु व्यवसायों का समर्थन करने के लिए नीतियाँ भी तैयार करता है।

ब्राजील की कैबिनेट की संस्थागत स्थिरता के लिए संभावित जोखिमों के बारे में प्रश्नों के विश्लेषण और निगरानी के लिए, संधीय खुफिया गतिविधियों के समन्वय के लिए,

सैन्य और सुरक्षा के मुद्दों से संबंधित सलाहकार के कार्यों को करने और गणतंत्र के राष्ट्रपति के लिए अन्य सहायक कार्यों के लिए भी जिम्मेदार है।

3.3 रूस में कार्यपालिका

"रूसी संघ में कार्यकारी शक्ति का प्रयोग रूसी संघ की सरकार द्वारा किया जाएगा। रूसी संघ की सरकार में रूसी संघ की सरकार के अध्यक्ष, रूसी संघ की सरकार के उपाध्यक्ष और संघीय मंत्री शामिल होंगे"(रूसी संघ का संविधान, http://www.constitution.ru/en/10003000-07.htm) ।रूस के संविधान के अनुसार, रूस एक संघीय अर्द्ध अध्यक्षात्मक गणराज्य है। एक अर्द्ध अध्यक्षात्मक संरचना के अंतर्गत राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री क्रमशः राज्य के प्रमुख और सरकार के प्रमुख के रूप में शासकीय जिम्मेदारियों को साझा करते हैं। हालांकि, राष्ट्रपति के पास प्रधानमंत्री की तुलना में अधिक शक्तियाँ होती हैं। एक सार्वभौमिक परंपरा के रूप में, सरकार की तीनों शाखाएँ देश के प्रशासन को चलाने के दायित्व को साझा करती हैं। रूस के कार्यपालिका प्रमुख, राष्ट्रपति को आम जनता 6 वर्ष के कार्यकाल के लिए निर्वाचित करती है। यह कार्यकाल लगातार दो कार्यकाल तक सीमित है। हालांकि, हाल के संवैधानिक परिवर्तनों (जुलाई, 2020) ने रूसी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों के वर्तमान कार्यकाल (जो 2024 में समाप्त होगा) को छः साल के दो और कार्यकाल के लिए बढ़ा दिया है, जिनका अर्थ है कि दोनों वर्ष 2036 तक सत्ता में रहेंगे।

संविधान के अनुच्छेद 83 के अनुसार, राष्ट्रपति को कार्यपालिका के संबंध में कई महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त हैं। नियुक्ती संबंधी शक्ति, नियंत्रण शक्ति, नीति संबंधी शक्ति, सैन्य शक्ति व न्यायिक शक्ति इन में शामिल हैं। रूसी राष्ट्रपति संविधान के अधिकारों, मानव व नागरिकों के अधिकारों तथा जनता की स्वतंत्रता का संरक्षक होता है। वह राज्य की संप्रभुता, स्वतंत्रता और अखंडता का रक्षक होता है।

सबसे ऊपर, राष्ट्रपति संविधान और मानव और नागरिक अधिकारों और स्वतंत्रता का गारंटर है। वह राज्य की संप्रभुता, स्वतंत्रता और अखंडता के रक्षक हैं; और राज्य सत्ता के सभी निकायों के समेकित कामकाज और बातचीत को सुनिश्चित करता है। इस क्षमता में, राज्य के मुखिया के रूप में वह सभी औपचारिक कार्य करता है और देश के अंदर और बाहर राज्य का अग्रभाग होता है। उसके पास सरकार के अध्यक्ष की नियुक्ति करने की सभी महत्वपूर्ण शक्तियाँ हैं। वह राज्य ड्यूमा की सहमति से अध्यक्ष को नामित करता है। उसके पास राज्य ड्यूमा की सहमति से फेडरल बैंक के अध्यक्ष को मनोनीत करने या हटाने का भी अधिकार है। उपसभापति और मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। इसके अलावा, वह विभिन्न देशों में राजदूतों की नियुक्ति करता है जिसके साथ देश के राजनयिक संबंध हैं।

न्यायपालिका के संबंध में, राष्ट्रपति संघीय परिषद् को रूस के संवैधानिक न्यायलय, सर्वोच्च न्यायलय और सर्वोच्च मध्यस्थता न्यायलय के न्यायधीशों की नियुक्ति के लिए

सिफारिश करता है। इसके साथ ही रूसी संघ के अभियोजक जनरल की नियुक्ति या हटाने के संबंध में, राष्ट्रपति संघीय परिषद् को सिफारिश करता है।

राष्ट्रपति को कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करने का अधिकार है। उसे सरकार या कार्यपालिका के अंगों के किसी भी कार्य को ठुकराने का अधिकार है, जो उसकी राय में संविधान, संघीय कानूनों और अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियों या मानव या नागरिक अधिकारों या स्वतंत्रता का उल्लंघन हो सकता है। राष्ट्रपति ज्यादातर देश की घरेलू और विदेश से संबंधित नीतियों के निर्माण में शामिल होता है। इसमें विदेशी राजदूतों की नियुक्ति, अंतर्राष्ट्रीय चर्चाओं में भाग लेना और अंतर्राष्ट्रीय संधियों और समझौतों पर हस्ताक्षर करना शामिल है।

सशस्त्र बलों के सर्वोच्च अधिकारी अर्थात् कमांडर–इन–चीफ के रूप में, राष्ट्रपति रूसी संघ की सुरक्षा परिषद का गठन करते है और सैन्य सिद्धांत तैयार करते है। वह रूसी सशस्त्र बलों के कमांडर को नियुक्त करने या हटाने की शक्ति भी रखता है। वह देश में या उसके किसी भी हिस्से में मार्शल लॉ (Martial Law) घोषित करने के लिए सशस्त्र बलों के सर्वोच्च राष्ट्रपति परमाणु बटन का नियंत्रक है और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नीति के प्रमुख निर्माता है।

आपातकाल के मामले में, राष्ट्रपति देश की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के संरक्षण और संरक्षण के संबंध में अधिक शक्तियाँ और दायित्वों को ग्रहण करता है। उसे कुछ अन्य शक्तियाँ भी प्राप्त है, जैसे व्यक्तियों या संस्थानों को अलग करने के लिए

पुरस्कार, उपाधि आदि प्रदान करना व विशिष्ट मामलों में माफी या क्षमा प्रदान करना है।

कार्यपालिका शाखा राष्ट्रपति के निर्देशों के अंतर्गत काम करती है। इस शाखा में कैबिनेट होता है, जिसे सरकार भी कहा जाता है। इसके सदस्यों में प्रधानमंत्री, उपप्रधानमंत्री और संघीय मंत्री शामिल हैं। प्रधानमंत्री को सरकार के अध्यक्ष के रूप में भी जाना जाता है और उप–प्रधानमंत्री (वर्तमान में, प्रथम उप प्रधानमंत्री सहित छः है) को उपसभापति के रूप में जाना जाता है। संघीय मंत्री विभागों व मंत्रालयों के कर्त्तव्यों का पालन करते हैं। इसके बाद, प्रधानमंत्री, उपप्रधानमंत्रीयों और संघीय मंत्रियों को मनोनीत करता है। कार्यपालिका शाखा विधान सभा व राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए कानूनों के क्रियान्वयन व प्रशासन के लिए जिम्मेदार है।

प्रधानमंत्री या रूस के कैबिनेट के मंत्रियों के अध्यक्ष के रूप में वह विभिन्न मंत्रियों को विभागों को वितरण करता है। सरकार की नीतियों, राष्ट्रपति के आदेशों विधि, संधियों और समझौतों को लागू करना प्रधानमंत्री का दायित्व है। ये नीतियां व्यापार और वाणिज्य, बिजली, गैस, प्राकृतिक संसाधन, कृषि, श्रम, प्रवास, परिवार से संबंधित नीतियों, सामाजिक सुरक्षा आदि से संबंधित हो सकती है। सरकार की सभी गतिविधियों के बारे में सूचित करना और सरकार के समग्र कार्य के बारे में राज्य डूमा को वार्षिक रूप से सूचित करना भी उसका कर्त्तव्य है। वित्तीय मोर्चे पर, प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों को संघीय बजट तैयार करने और मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों को पेश

करने की आवश्यकता होती है। प्रधानमंत्री राज्य डूमा में इन्हें प्रस्तुत करने तथा बजट क्रियान्वयन के बारे में रिपोर्ट करने के लिए जिम्मेदार है।

प्रधानमंत्री के रूप में वह विधायी अधिनियमों पर भी हस्ताक्षर करता है। उस क्षमता में, वह विभिन्न महत्वपूर्ण संस्थानों का पदेन सदस्य होता है, जैसे रूसी संघ की सुरक्षा परिषद्, स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रमंडल के परिषद् के प्रमुख आदि।संघीय मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा रूस के राष्ट्रपति के अनुमोदन से की जाती है, और ये मंत्री बड़े पैमाने पर सरकार को उसके कार्यों को करने में सहायता करते हैं। रूस की सरकार, जो पश्चिमी कैबिनेट संरचना के समान है, के अंतर्गत प्रधानमंत्री, उपप्रधानमंत्री और संघीय मंत्री आते हैं। अनुच्छेद 114 और 115 के अंतर्गत रूसी संघ की सरकार स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा और परिस्थितिकी के क्षेत्र में निष्पादन नीतियां करना, संघीय बजट तैयार प्रस्तुत करना व रूस की विदेश नीति को लागू करने का कार्य करती है।

संघीय मंत्रियों को प्रधान मंत्री द्वारा राष्ट्रपति के अनुमोदन से नियुक्त किया जाता है, और ये मंत्री बड़े पैमाने पर सरकार को अपने कार्यों को पूरा करने में सहायता करते हैं। रूस की सरकार, जो पश्चिमी कैबिनेट संरचना से मेल खाती है, में प्रधान मंत्री, उप प्रधान मंत्री और संघीय मंत्री शामिल हैं। अनुच्छेद 114 और 115 के तहत, रूसी संघ की सरकार संघीय बजट तैयार करती है और प्रस्तुत करती है, रूस की विदेश

नीति को लागू करती है, और स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा और पारिस्थितिकी के क्षेत्र में नीतियों के निष्पादन को सुनिश्चित करती है।

रूस की व्यवस्था में, यद्यपि कार्यपालिका के कार्य के निरीक्ष्ज्ञण के लिए प्रधानमंत्री, उनके सहायक, विभिन्न मंत्रालय, विभाग और अन्य सरकारी एजेंसियां है, लेकिन राष्ट्रपति अपनी केन्द्रीय स्थिति सुदृढ़ होने के कारण कार्यपालिका संबंधी कार्यों को प्रभावित करता है। इससे यह स्थापित होता है कि रूसी संघ की सरकार राष्ट्रपति और संसदीय प्रणाली दोनों की विशेषताओं वाले मिश्रित मॉडल का प्रतिनिधित्व करती है।

बोध प्रश्न 1

टिप्पणी : (i) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

(ii) इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से अपने उत्तर मिलाइए।

1) ब्राजील के राष्ट्रपति की किन्हीं दो मुख्य शक्तियों की चर्चा कीजिए।

.....

.....

.....

.....

.....

2) रूस के राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति क्या है?

.....

.....

.....

.....

.....

3.4 भारत में कार्यपालिका

भारत ने सरकार की संसदात्मक प्रणाली को अपनाया है, जो नाममात्र और वास्तविक कार्यपालिका का प्रावधान करती है। भारत का राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख होता है, और उसे नाममात्र का कार्यपालिका प्रमुख माना जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार, भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित है, और उनके द्वारा या तो सीधे या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से प्रयोग किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 77 इंगित करता है कि सरकार के सभी कार्यपालिका संबंधी कार्यों को राष्ट्रपति के नाम पर किए जाने की उम्मीद है। अनुच्छेद 74 के अनुसार, संविधान राष्ट्रपति को अपनी अपनी शक्तियों के प्रयोग में सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान करता है। इस प्रकार राष्ट्रपति की सभी शक्तियां प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रीपरिषद के पास होती है। राष्ट्रपति का पद ब्रिटिश क्राऊन (Crown) के समान ही होता है।

राष्ट्रपति का निर्वाचन व शक्तियां

संविधान के अनुसार राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार में निम्नलिखित योग्यताएँ होनी चाहिए—वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष से कम आयु न हो, लाभ के किसी पद पर न हो, एवं संसद के सदस्यों के समान सभी योग्यताओं को पूर्ण करना चाहिए। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, अर्थात् जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से न होकर संसद में निर्वाचित सदस्यों तथा राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है, जिसे निर्वाचक मंडल कहा गया है। राष्ट्रपति का चुनाव पांच वर्ष के कार्यकाल के लिए होता है तथा एक और कार्यकाल के लिए वह पुनः निर्वाचित हो सकता है। अनुच्छेद 61 के संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार वह चाहे तो इस्तीफा दे सकता है या उसे पद से प्रावधानों के अनुसार हटाया जा सकता है।

जहाँ तक राष्ट्रपति की शक्तियों व कार्यों के बारे में बात कहीं जाए, एक बहुत लंबी सूची संविधान में दी गई है, जिन्हें कार्यपालिका शक्ति, विधान सभा शक्ति, न्यायिक शक्ति, वित्तीय शक्ति व आपातकालीन शक्तियों में वर्गीकृत किया गया है। राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति से नियुक्ति व पदच्युति शामिल है। इसके अंतर्गत भारत के प्रधानमंत्री और अन्य केन्द्रीय मंत्रियों, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, भारत के महान्यायवादी, सर्वोच्च और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों चुनाव आयुक्त व उसके सदस्य और विभिन्न निकायों के सदस्यों की नियुक्ति शामिल है। राष्ट्रपति को केन्द्र सरकार और केन्द्र शासित प्रदेशों

के प्रशासन को नियंत्रित करने, राज्य के राज्यपालों को निर्देश जारी करने, सरकार से कोई भी जानकारी मांगने आदि की औपचारिक शक्ति प्राप्त है। विधान सभा में भी उनके पास लोकसभा के संबंध में कई शक्तियाँ है। उदाहरणस्वरूप धन विधेयक और अन्य कुछ विधेयक उसकी स्वीकृति के बिना संसद में प्रस्तुत नहीं किए जा सकते है, उसे लोक सभा को बुलाने, सत्रावसान व भंग करने की शक्ति है, उसे सदनों को संबोधित करने का अधिकार है, वह विभिन्न सरकारों में कुछ प्रकार के सदस्यों को मनोनीत कर सकते है, तथा संसद द्वारा पारित किए गए विधेयकों को स्वीकृति देते हैं।

राष्ट्रपति सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है, और उसके पास सशस्त्र बलों के विभिन्न शाखाओं के प्रमुख को नियुक्त करने की शक्ति प्राप्त होती है। न्यायपालिका के अंतर्गत न्यायधीशों की नियुक्ति के अलावा, उसे अपराधियों को क्षमादान या मृत्युदंड को क्षमा करने का एकभेद अधिकार प्राप्त है।

भारत के राष्ट्रपति को महत्वपूर्ण आपातकालीन शक्तियाँ भी प्राप्त है। इसमें युद्ध या आंतरिक अशांति (अनुच्छेद 352) से उत्पन्न आपातकालीन स्थिति, राज्य में संवैधानिक विघटन के कारण उत्पन्न आपातकाल (अनुच्छेद 356) और वित्तीय आपातकाल (अनुच्छेद 360) शामिल हैं।

राष्ट्रपति इन सभी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करता है। हालांकि, तीन परिस्थितियों में राष्ट्रपति अपनी विवेकाधीन शक्तियों का उपयोग कर सकता है:

i) राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद् द्वारा दी गई सलाह को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है।

ii) राष्ट्रपति के पास वीटो पावर (Veto Power) है, जिसके द्वारा वह बिल को रोक सकता है या सहमति देने से इंकार कर सकता है।

iii) चुनाव के बाद लोक सभा में किसी भी दल के पास स्पष्ट बहुमत नहीं होने की स्थिति में, राष्ट्रपति सरकार बनाने के अपने दावे को साबित करने के लिए किसी भी राजनीतिक दल या दलों को आमंत्रित करने के लिए अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकते हैं।

उपराष्ट्रपति (Vice-President)

राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया में एक विचलन के साथ उपराष्ट्रपति को भारत के राष्ट्रपति के साथ ही निर्वाचित किया जाता है। केवल राज्य विधानसभाओं के सदस्य उपराष्ट्रपति के पद के लिए मतदान नहीं करते हैं। वह 5 साल के लिए निर्वाचित होते हैं एवं दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुने जा सकते हैं। उपराष्ट्रपति को बहुमत से पारित राज्यसभा के प्रस्ताव और लोक सभा द्वारा अनुमोदन से हटाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राष्ट्रपति का स्थान रिक्त होने पर वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है।

प्रधानमंत्री (The Prime Minister)

भारत का प्रधानमंत्री सरकार में सबसे शीर्ष स्थान पर है। उसे कार्यपालिका का सर्वोच्च अधिकार प्राप्त है। लोक सभा में बहुमत दल का नेता बनने पर राष्ट्रपति द्वारा उनकी नियुक्ति की जाती है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है कि सभी कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ औपचारिक रूप से राष्ट्रपति में निहित हैं, लेकिन इनका प्रयोग केवल मंत्रिपरिषद की 'सहायता व परामर्श' से किया जाता है। प्रधानमंत्री, मंत्रीपरिषद् का प्रमुख है, अतः वास्तविकता में सभी शक्तियों का उपयोग करते हैं। प्रशासनिक प्रमुख, राजनीतिक कार्यपालिका प्रमुख एवं लोक सभा के नेता के रूप में उनकी कई भूमिकाएँ है। उनकी भूमिकाएँ निम्नलिखित है :

i) **मंत्रालय का गठन करना (To Constitute the Ministry)**– प्रधानमंत्री का सबसे पहला व महत्वपूर्ण कार्य मंत्रिपरिषद का गठन करना है। यह संभवतः बहुत उलझे हुए कार्य हैं। संविधान का अनुच्छेद 75 अर्थपूर्ण है, जिस के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श से मंत्रियों की नियुक्ति करता है। वास्तव में, प्रधानमंत्री मंत्रियों के नामों की सूची तैयार करते हैं एवं राष्ट्रपति के नाम से नियुक्ति की जाती है। यह सूची तैयार करते समय राष्ट्रपति को विश्वास में लिया जा सकता या नहीं भी।

ii) **मंत्रियों को पदच्युत करने की शक्ति (Powers fo dismissing the Ministers)**– एक मंत्री, जो प्रधानमंत्री का विश्वास खो देता है या जो उसकी नीतियों से असहमत होता है, उसे अपना पद छोड़ना पड़ता है। अन्य शब्दों में

मंत्रि प्रधानमंत्री के प्रसादर्यन्त ही अपने पद पर रहते हैं। अतः मंत्रियों की नियुक्ति के संबंध की सत्यता पदच्युतता से भी संबंधित है। ऐसे कई तरीके हैं जिन से प्रधानमंत्री अपने सहयोगियों अर्थात मंत्रियों को छोड़ सकता है। वह केवल ऐसे मंत्री के त्यागपत्र के लिए कह सकता है, जिसे बाद में बर्खास्तगी से बचने के लिए स्वीकारना पड़ता है। कुछ सहयोगियों को हटाने के पश्चात् प्रधानमंत्री मंत्रालय भंग कर सकता है और उसका पुनर्गठन भी कर सकता है। वह राष्ट्रपति को किसी मंत्री को हटाने की सलाह भी दे सकता है क्योंकि तकनीकी रूप से मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करते हैं। वह किसी मंत्री को कम प्रतिष्ठित मंत्रालय में स्थानांतरित भी कर सकते हैं।

iii) **लोक सभा को भंग करने की शक्ति (Power to Dissolve Lok Sabha)**– प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को लोक सभा को भंग करने की सलाह भी दे सकता है। यह प्रधानमंत्री की संवैधानिक शक्तियों में शामिल है कि वह जब भी उपयुक्त समझे लोक सभा को भंग कर सकता है। संसदीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत के अनुसार, राष्ट्रपति ऐसे अनुरोध को स्वीकार कर लेते हैं।

iv) **मुख्य प्रशासक के रूप में(As the Chief Administrator)** – प्रधानमंत्री राष्ट्र का वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख होता है। अतः वह प्रशासन का मुखिया भी होता है। उसके पास कार्यक्रमों को लागू करने और पार्टी के वादों को पूरा करने की पूरी शक्ति होती है। हालांकि, उसे इन शक्तियों के प्रयोग के लिए

जिम्मेदार होना होगा। कल्याणकारी राज्यों के इस युग में, जनता सरकार को हितसंरक्षक के रूप में देखते हैं, तथा सरकार की थोड़ी सी विफलता को जनता के विश्वास का विच्छेद माना जाता है।

v) **अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में प्रधानमंत्री की भूमिका (PM's Role in International Affairs)**– चाहे या अनचाहे प्रधानमंत्री विदेशी मामलों में मंत्रालय को संभालता है। वह विदेशी मामलों व संबंधों में भारतीय निर्माता की भूमिका निभाता है। वह देश के अभिभावक का कार्य करता है। वह अत्यधिक महत्व के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेता है, राष्ट्रमंडल के प्रधानमंत्री स्तर के सम्मेलन में हिस्सेदारी करता है, तथा नए राज्यों और सरकारों की मान्यता, राजनयिक दूतों की स्थापना, विदेशी कंपनियों के साथ सहयोग और इसी तरह के अन्य महत्वपूर्ण सवालों पर अन्य देशों के प्रमुखों से संपर्क करता है।

vi) **मंत्रिपरिषद के मुख्य की भूमिका (Head of the Council of Ministers)**–मंत्रिपरिषद का प्रमुख होने के नाते, प्रधानमंत्री विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के बीच समन्वय प्राप्त करता है, और विभिन्न मंत्रियों के बीच किसी भी मतभेद को दूर करना उसका कर्त्तव्य है।

vii) प्रधानमंत्री, सरकार के सर्वोच्च स्थान पर होने के कारण देश के सामाजिक–आर्थिक विकास की जिम्मेदारी लेता है। इस संबंध में वह विकासात्मक नीतियों और सामाजिक आर्थिक नियोजन के लिए नेतृत्व प्रदान

करता है। वह नीति आयोग का अध्ययन होता है और विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित विकास कार्यों को पूरा करने के लिए प्रशासन का मार्गदर्शन करता है।

प्रधानमंत्री का स्थान (Position of Prime Minister)

यह स्पष्ट है कि भारत का राष्ट्रपति केवल नाममात्र का प्रमुख या राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, जबकि वास्तविक शक्तियाँ प्रधानमंत्री में निहित होती है। वास्तविक शासक के रूप में प्रधानमंत्री के साथ संसदीय लोकतंत्र की यह प्रणाली ब्रिटेन के मॉडल से ली गई है। इस व्यवस्था में प्रधानमंत्री देश का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। वह संविधान के अनुसार, राष्ट्रपति में निहित सभी कार्यपालिका संबंधी कार्यों का उपयोग करता है। कार्यपालिका संबंधी कार्यों से तात्पर्य राज्य के सभी कार्यों से है जिसमें रक्षा, विदेशी मामले, विकास, वित्त आदि शामिल है। अतः प्रधानमंत्री भारत में सर्वोच्च शासक के पद पर स्थापित है। वह सरकार के प्रमुख व अपनी टीम का कप्तान होता है। वह सरकार की व्यवस्था का कर्ता होता है। वह राष्ट्र को मार्गदर्शन और नेतृत्व प्रदान करता है, और सरकारी तंत्र की स्थिरता के लिए भी जिम्मेदार है। वह देश को भविष्य की ओर प्रगति के पथ पर या फिर पीछे इतिहास की ओर अर्थात् पतन की ओर ले जा सकता हैं। अतः वह राष्ट्र का रक्षक, संरक्षक और प्रवर्तक है। उसे ''जहाज के कप्तान'' के रूप में समझा जाता है। ''सितारों के मध्य छोटा चांद'' या ''सूर्य जिसके चारों ओर ग्रह घूमते हैं'' कुछ और उपनाम है, जिन्हें प्रधानमंत्री के लिए प्रयोग किया जाता है।

मंत्रिमंडल के मंत्री (Cabinet Ministers)

कैबिनेट आमतौर पर मंत्रिपरिषद से संबंधित है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। मंत्री का चयन प्रधानमंत्री का विवेक हैं, जो व्यवहार मे कई क्रम परिवर्तन व संयोजनों के आधार पर अपने मंत्रियों को चुनते हैं। वे सभी अपने सभी कार्यों और गतिविधियों के लिए प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी होते हैं। वे प्रधानमंत्री के आदेश और निर्देश पर अपनी भूमिका निभाते है और सामूहिक व व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कायम रहते हैं।

3.5 चीन में कार्यपालिका

चीन में कार्यपालिका की व्यवस्था सैद्धांतिक रूप से प्रीमियर (प्रधानमंत्री) की अध्यक्षता में होता है, जो सरकार व राज्य परिषद् का प्रमुख होता है। हालांकि, वास्तविकता में जनवादी चीन के राष्ट्रपति हैं, जो कि साम्यवादी राजनीतिक दल के प्रमुख होने के साथ ही समग्र प्रमुख होने की वास्तविकता में जनवादी चीन के राष्ट्रपति हैं जोकि साम्यवादी राजनीतिक दल के प्रमुख होने के साथ ही समग्र प्रमुख होने की वास्तवि भूमिका निभाता है। राष्ट्रीय जनवादी चीनी गणराज्य के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति का चुनाव राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के रूप में चुने जाने के लिए, उम्मीदवार की आयु 45 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और उसे चीन में वोट देने का अधिकार होना चाहिए। जनवादी चीनी गणराज्य के राष्ट्रपति और उप–राष्ट्रपति का कार्यकाल राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के समान है अर्थात् पांच

साल है। हालांकि, राष्ट्रपति का कार्यकाल पांच साल को होता है, लेकिन यह बिना किसी सीमा के नवीनीकृत होता है, अर्थात् राष्ट्रपति का कार्यकाल आजीवन है (वर्तमान संवैधानिक परिवर्तन, 2018)।

राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस और राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की स्थायी समिति के निर्णय के अनुसार, राष्ट्रपति कानूनों को घोषित करता है, प्रधान, उप–प्रमुखों राज्य पार्षदों, मंत्रालयों के मंत्री, आयोगों के मंत्रीयों, महालेखा परीक्षक और राज्य परिषद के महासचिव को नियुक्ति व पदच्युत कर सकता है। वह विभिन्न राष्ट्रीय पुरस्कारों, पदको और सम्मान की उपाधियों के बारे में निर्णय लेता है, विशेष क्षमा के आदेश जारी कर सकता है, आपातकाल की स्थिति या युद्ध की स्थिति घोषित कर सकता है, व सरकारी मामलों से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण आदेश जारी कर सकता है।

चीनी जनवादी गणराज्य के राष्ट्रपति चीन के जनवादी गणराज्य की ओर से विदेशी राजनयिक दूत का स्वागत करते हैं, राष्ट्रीय जनवादी स्थायी समिति के निर्णयों के अनुसार, विदेशों में चीनी प्रतिनिधियों को नियुक्त करने व वापस बुलाने तथा अन्य देशों के साथ की गई संधियों व महत्वपूर्ण समझौतों को स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकते हैं।

उपराष्ट्रपति (Vice-President)

चीन जनवादी गणराज्य के उप–राष्ट्रपति को राष्ट्रपति के समान नियमों के अंतर्गत ही चुना जाता है और राष्ट्रपति के साथ उनका कार्यकाल समान होता है। राष्ट्रपति द्वारा सौंपे जाने वाले कार्यों के फलस्वरूप राष्ट्रपति के कार्यों और शक्तियों का कुछ हिस्सा

अपनी तरफ से प्रयोग कर सकता है। चीनी जनवादी गणराज्य के राष्ट्रपति को पद रिक्त होने की स्थिति में, उप–राष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर सफल होता है।

राज्य परिषद् (State Council)

चीन के जनवादी गणराज्य का राज्य परिषद् (केन्द्रीय जनवादी सरकार) तकनीकी रूप से कार्यपालिका का अंग है व राज्य शक्ति के रूप में यह सर्वोच्च राज्य प्रशासनिक निकाय है। राज्य परिषद् निम्नलिखित प्राधिकरणों से बनी है :

i) प्रधानमंत्री (प्रीमियर)

ii) उप–प्रधानमंत्री

iii) राज्य पार्षद

iv) मंत्रालयों के मंत्री

v) आयोग के मंत्री

vi) महालेखा परीक्षक

vii) महासचिव

राज्य परिषद् से एक प्रमुख उत्तरदायित्व प्रणाली के साथ कार्य करने की अपेक्षा की जाती है। मंत्रालयों के साथ साथ आयोगों को भी एक मंत्रिस्तरीय जिम्मेदारी व्यवस्था का पालन करना आवश्यक है। राज्य परिषद् का संगठन समय–समय पर कानून द्वारा निर्धारित किया जाता है। राज्य परिषद् का कार्यकाल राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के समान ही है। प्रधानमंत्री, उप–प्रधानमंत्री व राज्य परिषद् लगातार दो कार्यकाल से अधिक नहीं कर सकते हैं। प्रधानमंत्री राज्य परिषद् के काम को नियंत्रित और निर्देशित करता है। उप–प्रधानमंत्री और राज्य पार्षद उसके कार्य में प्रधानमंत्री की सहायता करते हैं।

राज्य परिषद् की सभी कार्यपालिका संबंधी बैठकों में प्रधानमंत्री, उपप्रधानमंत्री, राज्य पार्षदों व महासचिव की उपस्थिति आवश्यक है। राज्य परिषद् निम्नलिखित कार्यों और शक्तियों का प्रयोग करती है :

i) उचित प्रशासनिक उपाय करना, प्रशासनिक नियम तैयार करना और संविधान व कानून के अनुसार निर्णय और आदेश जारी करना;

ii) राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस या राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की स्थाई समिति के लिए प्रस्ताव तैयार व जमा करना;

iii) मंत्रालयों और आयोगों के मिशन व उत्तरदायित्व का सख्ती से पालन करना, उनके काम पर एकीकृत नेतृत्व का संकेत देना, और राष्ट्रीय प्रशासनिक कार्यों

का भी ध्यान रखना, जो किसी मंत्रालय या आयोग की जिम्मेदारियों के अंतर्गत नहीं आते हैं;

iv) विभिन्न स्तरों पर स्थानीय और राज्य प्रशासनिक संस्थाओं के कार्यों का निर्देशन व समीक्षा करना और केन्द्र सरकार के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत प्रांतों, स्वायत्त क्षेत्रों और शहरों में केंद्र सरकार और राज्य प्रशासनिक अंगों के बीच शक्तियों व कार्यों विस्तृत विभाजन व समीक्षा करना है;

v) राष्ट्रीय, आर्थिक और सामाजिक विकास व राज्य के बजट के लिए योजनाओं का निर्माण व कार्यान्वयन;

vi) आर्थिक गतिविधियों, शहरी और ग्रामीण विकास व पारिस्थितिकीय संरक्षण का मार्गदर्शन, निर्देशन व प्रबंधन;

vii) शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति, स्वास्थ्य, खेल, परिवार नियोजन और सामाजिक कार्य से संबंधित गतिविधियों का प्रबंधन और नियंत्रण;

viii) लोक सुरक्षा, न्यायिक प्रशासन, नागरिक मामलों आदि से संबंधित कार्यों का प्रबंधन और समीक्षा करना;

ix) विदेशी मामलों की अंतर्राष्ट्रीय संधियों और विदेशों के साथ समझौते से संबंधित आवश्यक गतिविधियों का निर्देशन और प्रबंधन;

x) राष्ट्रीय रक्षा के विकास से संबंधित कार्य;

xi) जातीय मामलों से संबंधित कार्यों का प्रबंधन और मार्गदर्शन करना और जातीय अल्पसंख्यकों और जातीय स्वायत्त क्षेत्रों के समान अधिकारों की रक्षा करना;

xii) विदेशों में चीन के नागरिकों के कानूनी अधिकारों और हितों की रक्षा करना और विदेशों से वापस लौटे चीन के नागरिकों एवं विदेशों में चीन के नागरिकों के परिवार के सदस्यों के कानूनी अधिकार व हितों की रक्षा करना;

xiii) मंत्रालयों, आयोगों या अन्य प्रशासनिक निकायों द्वारा जारी किए गए अनुचित आदेशों, निर्देशों व विनियमों पर विचार करना और परिवर्तित करना; और

xiv) प्रांतों के भौगोलिक विभाजन की समीक्षा और अनुमोदन, स्वायत्त क्षेत्र और शहर, जोकि प्रत्यक्ष रूप से केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं व स्वायत्त प्रांतों, काऊंटी, स्वायत्त काऊंटी व शहरों की स्थापना व भौगोलिक विभाजन को मंजूरी देते हैं।

साम्यवादी (Communist) दल की तुलना में चीन सरकार की व्यवस्था की विशिष्टता

चीन के राष्ट्रपति सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है, क्योंकि वह अपने प्रभाव को चीन के साम्यवादी दल के महासचिव के रूप में प्राप्त करता है, जोकि देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। साम्यवादी दल केन्द्रीय शक्ति है, जोकि सभी सरकारी विभागों को

नियंत्रित करता है। साम्यवादी दल के पोलित ब्यूरो की स्थाई समिति एवं स्वयं पोलित ब्यूरो के निर्णय प्रत्येक चीनी नागरिक को प्रभावित करते हैं।

3.6 दक्षिण अफ्रीका में कार्यपालिका

दक्षिण अफ्रीका एक संवैधानिक लोकतंत्र है तथा इसकी सरकार की व्यवस्था संसदात्मक गणतंत्र पर आधारित है। उनके संविधान के आधार पर राष्ट्रीय, प्रांतीय और स्थानीय स्तर की सरकार की त्रिस्तरीय व्यवस्था है। संविधान का उद्देश्य देश को ''सहकारी शासन'' की व्यवस्था के आधार पर ही संचालित किया जाए। कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति, उप–राष्ट्रपति व कैबिनेट में निहित है। राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष व शासनाध्यक्ष दोनों ही पदों पर आसीन है।

राष्ट्रपति (President)

दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति का चुनाव राष्ट्रीय सभा (संसद के निचले सदन) के सदस्यों द्वारा आपस में किया जाता है। एक बार राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के बाद उस व्यक्ति को राष्ट्रीय सभा के सदस्य के रूप में इस्तीफा देना पड़ता है। राष्ट्रपति को पांच साल के कार्यकाल के लिए चुना जाता है, जो एक बार ही नवीनीकृत होता है। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति राष्ट्र प्रमुख, शासन प्रमुख एवं सेना प्रमुख होते है। संविधान के अनुसार, राष्ट्र के लिए काम करना और संविधान के सम्मान और गरिमा को बनाए रखना राष्ट्रपति की पहली और सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। उसके पास कैबिनेट के सदस्यों को नियुक्त करने, उन्हें विभागों को

वितरित करने, कैबिनेट की बैठकों का आमंत्रण करने, उच्च महत्वपूर्ण नियुक्तियों करने, सशस्त्र बलों के कमांडरों की नियुक्ति करने, निर्देश जारी करने, केन्द्रीय प्रशासन को निर्देशित करने और नियंत्रित करने की शक्ति है। विदेशी मामलों की देखभाल करने के लिए, राजदूतों को नियुक्ति करने के लिए व अन्य देशों में दक्षिण अफ्रीकी प्रतिनिधियों को मनोनीत करने के लिए, विदेशी गणमान्य व्यक्तियों के स्वागत आदि कार्य शामिल है। वह कुछ विधायी व न्यायिक शक्तियों का भी उपाय करता है, उदाहरण के लिए राष्ट्रीय सभा द्वारा पारित विधेयकों (Bills) पर उसके हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है, और उसके पास कुछ विधेयकों को पुनः विचार के लिए विधान सभा के पास वापस भेजने का अधिकार होता है या वह विधेयक संवैधानिक न्यायलय को पूर्ण निर्णय (Verdict) के लिए भी भेज सकता है। राष्ट्रपति के पास न्यायिक सेवा आयोग के परामर्श से न्यायधीशों की नियुक्ति करने की शक्ति भी है। राष्ट्रपति अपने उद्देश्यों व ऐजेंडें (Agenda) से अवगत कराने के लिए संसद को बुलाता है। कैबिनेट के माध्यम से, राष्ट्रपति संविधान और कानूनों को लागू करता है।

उप–राष्ट्रपति (Deputy-President)

दक्षिण अफ्रीका के उप–राष्ट्रपति दक्षिण अफ्रीका की सरकार के उप प्रमुख है और राष्ट्रीय सभा व कैबिनेट का प्रतिनिधित्व करता है। उसका कार्यकाल कानून द्वारा निर्धारित नहीं है, अतः उसका कार्यकाल आरंभ होता है जब राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय सभा के सदस्यों में से नियुक्त किया जाता है तथा वह निर्धारित रूप से शपथ लेता है। उसे

पद से चार प्रकार से हटाया जा सकता है – राष्ट्रपति द्वारा बर्खास्तगी, राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रीय सभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित करना, उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव और उनके इस्तीफे का ब्यान। उप–राष्ट्रपति को संवैधानिक रूप से सरकारी कार्यों के निस्पादन में राष्ट्रपति की सहायता करने की आवश्यकता होती है। वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है या अस्वस्थ हों। वह राष्ट्रपति का सलाहकार होता है व अक्सर प्रशासन के प्रवक्ता के रूप में कार्य करता है।

मंत्रिमंडल (Cabinet)

मंत्रिमंडल दक्षिण अफ्रीका के कार्यपालिका का अभिन्न अंग है, जिसमें राष्ट्रपति, उप–राष्ट्रपति, व कैबिनेट होते है तथा राष्ट्रपति प्रमुख होता है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति, उप–राष्ट्रपति, मंत्रियों व उप–मंत्रीयों की नियुक्ति करता है, उन्हें शक्तियों व कार्यों को सौंपता है और उन्हें खारिज भी करता है। इस संबंध में वह राष्ट्रीय पार्टी के नेताओं से भी परामर्श कर सकता है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय सभा के सदस्यों में से कितने मंत्रियों का चयन कर सकता है व विधानसभा के बाहर से दो मंत्रियों का चयन कर सकता है। राष्ट्रपति कैबिनेट के सदस्य को राष्ट्रीय सभा में नियमित सरकारी कार्य के लिए नियुक्त करता है। मंत्रिमंडल के निर्णय आमतौर पर सर्वसहमति से किए जाते है, हालांकि अत्यंत महत्वपूर्ण मामलों में, राष्ट्रपति को कम से कम दो तिहाई सदस्यों के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। मंत्री अपने निर्णयों और कार्यों के लिए और अपने संबंधित विभागों की गतिविधियों के लिए भी विधान सभा के

प्रति उत्तरदायी होते हैं। उन्हें समय समय पर अपने संबंधित विभाग की वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रीय सभा को प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। सरकारी गतिविधियों के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए करीब साठ मंत्रालय है।

अध्यक्षता (The Presidency)

जैसाकि पहले भी उल्लेख किया गया है, सरकार के कार्यपालिका, राष्ट्रपति दक्षिण अफ्रीका की सरकारी व्यवस्था में शीर्ष पर है।दक्षिण अफ्रीका की आधिकारिक वार्षिक पुस्तक के अनुसार, प्रेसीडेंसी (अध्यक्षता) में निम्नलिखित राजनीतिक प्रधान शामिल हैं :

1) राष्ट्रपति, जो राष्ट्राध्यक्ष है;

2) उप–राष्ट्रपति, जो सरकारी कार्यों का (संसद में) नेता होता है;

3) प्रेसीडेंसी के मंत्री;

4) महिलाओं, युवा व दिव्यांग के प्रेसीडेंसी में मंत्री;

5) प्रेसीडेंसी में उप–मंत्री

प्रेसीडेंसी में तीन संरचनाऐं है, जो सीधे शासन संचालन करती हैं। ये है :

i) कैबिनेट कार्यालय, जो कैबिनेट को प्रशासनिक सहायता प्रदान करता है। यह कैबिनेट और उसकी समितियों के समग्र काम को सुनिश्चित करने के लिए

प्रशासनिक प्रणाली और प्रक्रियाओं को लागू करता है। यह कैबिनेट और उसकी समितियों के निर्णय लेने की प्रक्रिया के प्रबंधन की सुविधा भी प्रदान करता है।

ii) नीति समन्वय सलाहकार सेवाओं में एक उपमहानिदेशक और पांच मुख्य निदेशालय शामिल है, जो महानिदेशकों के संबंधित समूहों द्वारा विकसित नीति प्रक्रियाओं का समर्थन करते हैं।

iii) कानूनी और कार्यपालिका सेवाएं राष्ट्रपति, उप–राष्ट्रपति, मंत्री और साथ ही पूरे राष्ट्रपति पद को कानूनी सलाह प्रदान करती है, और राजनीतिक सिद्धांतों से जुड़े सभी मुकदमों के लिए उत्तरदायी है।

प्रांतीय स्तर पर प्रत्येक प्रांत में एक कार्यपालिका परिषद् होती है, जिसका अध्ययन एक प्रधान होता है। प्रधान का चुनाव प्रांतीय विधान सभा के सदस्यों द्वारा संघ स्तर पर किया जाता है। प्रधान विधान सभा के सदस्यों में से कार्यकारी परिषद् के सदस्यों की नियुक्ति करता है। कार्यपालिका परिषद् प्रांतीय स्तर पर कार्यपालिका संबंधी कार्यों को देखने के लिए जिम्मेदार निकाय है। हालांकि, आमतौर पर वह बताया जाता है कि संघ और प्रांतीय निकायों के बीच समन्वय का एक खराब या अपरिभाषित तंत्र है। केन्द्रीय मंत्रीयों और कार्यपालिका परिषद् के सदस्यों के बीच बैठके आमतौर पर कम और अनौपचारिक होती है।

उपरोक्त चर्चा से यह ज्ञात होता है कि दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति राज्य के प्रमुख और सरकार के प्रमुख हैं, कैबिनेट और पूरे कार्यपालिका तंत्र का नेतृत्व करते हैं। उनसे देश के संविधान और कानूनों के अनुसार राष्ट्र की अखंडता, प्रगति और एकता बनाए रखने के लिए देश का नेतृत्व करने की आशा की जाती है।

बोध प्रश्न 2

टिप्पणी : (i) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

(ii) इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से अपने उत्तर मिलाइए।

1) भारत में कार्यपालिका व्यवस्था की चर्चा कीजिए।

.....

.....

.....

.....

.....

2) चीन की कार्यपालिका का बुनियादी ढांचा क्या है?

.....

.....

.....

.....

.....

3) दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति का क्या स्थान है?

.....

.....

.....

.....

.....

3.7 निष्कर्ष

इस इकाई में, हमने ब्रिक्स देशों में सरकार के कार्यपालिका अंग की जाँच की है। प्रत्येक कार्यपालिका मूल रूप से सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होता है। वास्तव में, जहाँ तक कार्यपालिका के कार्यों और शक्तियों का संबंध है, वहाँ बहुत अधिक भिन्नताएं नहीं होती है। हालांकि, हम प्रत्येक देश द्वारा अपनाई जाने वाली सरकार की प्रणाली के आधार पर उनकी व्यवस्था में कुछ बदलाव समझ सकते हैं। भारत जैसी संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति राज्य का नाममात्र का प्रमुख (नाममात्र का कार्यपालिका प्रमुख) होता है और प्रधानमंत्री (मंत्रिपरिषद) सरकार का वास्तविक प्रमुख (वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख) होता है, जबकि रूस की प्रणाली में

राष्ट्रपति शक्तिशाली व प्रधानमंत्री कम शक्तिशाली होता है। इस प्रणाली को अर्द्ध राष्ट्रपति व्यवस्था (Semi – Presidential System) के रूप में माना जाता है। ब्राजील में राष्ट्रपति प्रणाली है और चीन की व्यवस्था एक मजबूत राष्ट्रपति की आधिकारिक बहुमत सत्ता पर आधारित है। राष्ट्रपति सभी व्यापक शक्तियों के साथ पार्टी और देश का प्रमुख होता है। दक्षिण अफ्रीका संसदीय गणतंत्र में, राष्ट्रपति देश के साथ ही साथ सरकार का प्रमुख होता है।

3.8 शब्दावली

नीति आयोग : यह 1 जनवरी को गठित राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान की संदर्भित करता है। यह राज्यों की राष्ट्रीय हित में एक साथ कार्य करने के लिये सरकार के सर्वोत्कृष्ट मंच के रूप में कार्य करता है, और इस तरह कार्य करता है, और इस तरह सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है। यह सरकार का प्रमुख नीतिगत पिंक टैंक है, जो दिशात्मक और नीतिगत इनपुट प्रदान करता है। कार्यनीतिक और दीर्घकालिक नीतियों और कार्यक्रमों को स्वरचित करने के अतिरिक्त, आयोग केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रासंगिक तकनीकी सलाह प्रदान करता है। नीति आयोग के सासकीय परिषद को अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है।

3.9 संदर्भ लेख

Basu, D.D. (2019). *Introduction to the Constitution of India* (24th ed.). New Delhi, India: Lexis Nexis.

Brazil Government. Retrieved from www.brazil.gov.br.government

Congressional–Executive Commission on China. Retrieved from https://www.cecc.gov/

Country Studies. Retrieved from www.countrystudies.us

Encyclopedia Britannica. Retrieved from https://www.britannica.com/

IndexMundi. Retrieved from www.indexmundi.com

Parliamentary Monitoring Group. Retrieved from https://pmg.org.za/

Russiapedia. Retrieved from https://russiapedia.rt.com/

Singh, S. & Singh, S. (2017). *Indian Administration*. Jalandhar, India: New Academic Publishing Co.

South African Government. Retrieved from https://www.gov.za/

The State Duma. Retrieved from http://duma.gov.ru/en/

3.10 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न 1

1) आपके उत्तर में निम्नलिखित शामिल होना चाहिए :

- ब्राजील के राष्ट्रपति, राष्ट्राध्यक्ष एवं शासनाध्यक्ष होने के कारण कार्यपालिका संबंधी कार्यों पर नियंत्रण रखते है, विधान सभा पर नियंत्रण रखते है, उनके पास आपातकालीन शक्तियों एवं विदेशी संबंधों की शक्तियाँ हैं।

2) आपके उत्तर में निम्नलिखित शामिल होना चाहिए :

- रूस का राष्ट्रपति रूस की सरकार का केन्द्र है तथा अनेक महत्वपूर्ण शक्तियों जैसे सैन्य शक्ति, विदेशी संबंध एवं कार्यपालिका पर नियंत्रण का उपयोग करता है।

बोध प्रश्न 2

1) आपके उत्तर में निम्नलिखित शामिल होना चाहिए :

- भारत में संसदात्मक शासन व्यवस्था है, जो ब्रिटिश व्यवस्था पर आधारित है, इसमें नाममात्र का प्रमुख राष्ट्रपति एवं वास्तविक प्रमुख – प्रधानमंत्री है, जोकि मंत्रिपरिषद् का भी प्रमुख होता है।

2) आपके उत्तर में निम्नलिखित शामिल होना चाहिए :

- चीन की कार्यपालिका व्यवस्था का नेतृत्व राष्ट्रपति व राज्य परिषद् करती है। राज्य परिषद् प्रधानमंत्री, कुछ पार्षद, मंत्री व महालेखा परीक्षण होते हैं।

3) आपके उत्तर में निम्नलिखित शामिल होना चाहिए :

- दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष व शासनाव्यक्ष दोनों ही होते हैं। इसलिए वह कार्यपालिका अध्यक्ष भी होते है।